कार्यालय आयुक्त
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

पत्रांकः ......85.4./31./आ0-3-2006 लखनऊ   दिनांकः 10 अप्रैल, 2006

प्रेषकः

आर0 के0 मित्तल
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

प्रेषितः

सचिव,
संस्कार फाउण्डेशन,
2/77, विपुल खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ

विषयः भूमि को कृषि बागवानी या पशुपालन से असम्बद्ध करते हुए शैक्षिक उपयोग में प्रयोग करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः ASD/254/2005 दिनांकः 30.12.2005 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपकी भूमि, आराजी खसरा संख्या 1598क रकबा 0.5940 हे0, खसरा संख्या 1284 रकबा 0.1250 हे0 व खसरा संख्या 1285 रकबा 0.3410 व खसरा संख्या 1561क रकबा 1.3150 हे0 व खसरा संख्या 1598 रकबा 1.100 हे0, 1584ख रकबा 0.101 हे0, 1584क रकबा 1.986 हे0 को न्यायालय, उपजिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा वाद संख्याः 37/02-03 अन्तर्गत धारा-143 Zamindari Abolition & Land Reform Act. ग्राम औरंगाबाद खालसा, परगना, तह0 व जिला-लखनऊ में भूमि को कृषि बागवानी या पशुपालन से असम्बद्ध प्रयोजन में प्रयुक्त प्रत्यार्पित किया जा चुका है तथा उपरोक्त के क्रम में आप द्वारा किये गये अनुरोध के सन्दर्भ में आपकी भूमि के भौतिक निरीक्षण के उपरान्त आपको उपरोक्त भूमि को कृषि बागवानी या पशुपालन से असम्बद्ध करते हुए शैक्षिक उपयोग में प्रयोग करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांकः 10.04.2006

(आर0 के0 मित्तल)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल